कृष्णा जल विवाद

प्रिलिम्स के लिये:

कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण- II (KWDT-II), अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम (ISRWD)-1956, कृष्णा नदी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262

मेन्स के लिये:

कृष्णा जल विवाद, कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II, अंतर-राज्यीय जल विवाद

स्रोत: पी. आई. बी.

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश (AP) राज्यों के बीच निर्णय हेतु अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम (ISRWD)-1956 के तहत मौजूदा **कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण- II (KWDT-II)** के लिये एक अन्य **संदर्भ की शर्तों (ToR)** के मुद्दे को मंज़ूरी दे दी है। ।

कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II (KWDT-II):

- कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II का गठन केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2004 में ISRWD अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत कृष्णा नदी से संबंधित **जल-वितरण/नियंत्रण विवादों को निपटाने और सुलझाने के लिये** किया गया था।
- इसका गठन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश **राज्यों के बीच कृष्णा नदी के जल-वितरण/नियंत्रण** विवाद का समाधान करने के लिये किया गया था।
- KWDT-II ने जल की उपलब्धता, राज्यों को इसकी आपूर्ति और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर **कृष्णा नदी के जल की अनुशंसा एवं आवंटन सुनिश्चित** किया। इसने प्रत्येक राज्य को एक निश्चित मात्रा में जल उपलब्ध कराया, इसमें उस प्रत्येक हिस्से को रेखांकित किया गया जिसे वे प्राप्त करने के हकदार थे।

कृष्णा जल विवाद:

- **परिचय:**
  - कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच **कृष्णा नदी के जल के न्यायसंगत वितरण पर केंद्रित** है।
  - कृष्णा नदी इन राज्यों से होकर बहती है और विवाद उत्पन्न होने का प्रमुख कारण राज्यों की अलग-अलग ज़रूरतें, ऐतिहासिक मतभेद और राजनीतिक व प्रशासनिक परिदृश्य में बदलाव हैं।
- **पृष्ठभूमि:**
  - **विवाद का केंद्र:** आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बाँध **विवाद का प्रमुख केंद्र** है। आंध्र प्रदेश ने विद्युत उत्पादन के लिये श्रीशैलम बाँध के जल के तेलंगाना द्वारा उपयोग का विरोध किया।
  - **विवाद की पृष्ठभूमि:** इस विवाद का संबंध वर्ष 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन से है और इसका समाधान वर्ष 1973 में **कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण** (KWDT) के माध्यम से किया गया था। कृष्णा नदी के जल को पुनः आवंटित करने के लिये वर्ष 2004 में दूसरे **कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण** की स्थापना की गई थी।
  - **KWDT आवंटन (वर्ष 2010):** दूसरे कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा वर्ष 2010 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में कृष्णा नदी के जल का आवंटन इस पर **65% निर्भरता** और अधिशेष प्रवाह के लिये निम्नानुसार किया गया:
    - महाराष्ट्र के लिये 81 हज़ार मिलियन घन (TMC) फीट, कर्नाटक के लिये 177 TMC और आंध्र प्रदेश के लिये 190 TMC।
  - **आंध्र प्रदेश की चुनौतियाँ:** वर्ष 2011 में आंध्र प्रदेश ने एक विशेष अनुमति याचिका सहित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष KWDT द्वारा किये गये आवंटन को चुनौती दी।

- वर्ष 2013 में KWDT ने एक **अन्य रिपोर्ट** जारी की, जिसे वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश द्वारा फिर से **[सर्वोच्च न्यायालय]** में चुनौती दी गई।
  - तेलंगाना के गठन के बाद वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश ने चार राज्यों के बीच कृष्णा जल आवंटन की समीक्षा की मांग की।
    - महाराष्ट्र और कर्नाटक ने तर्क प्रस्तुत किया कि **तेलंगाना का निर्माण आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद हुआ था।** इसलिये जल का आवंटन आंध्र प्रदेश के हिस्से में से होना चाहिये, जिसे कोर्ट ने मंज़ूरी दे दी।
- **संवैधानिक ढाँचा:**
  - **भारतीय संविधान का [अनुच्छेद 262]** अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करता है, जिससे संसद को इस उद्देश्य के लिये कानून बनाने की अनुमति मिलती है।
  - **[अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956]** केंद्र सरकार को राज्यों के बीच जल विवादों को सुलझाने के लिये तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है।
- **वर्तमान स्थिति:**
  - KWDT संदर्भ की नई शर्तें प्रदान करेगा जिसके तहत न्यायाधिकरण भविष्य में कृष्णा नदी के जल को दोनों राज्यों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विभाजित करेगा।
  - यह दोनों राज्यों में विकासात्मक या भविष्य के उद्देश्यों हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं के लिये परियोजना-वार जल आवंटित करेगा।

कृष्णा नदी:

- **स्रोत:** इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर (सतारा) के निकट होता है। यह गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
- **ड्रेनेज:** यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले चार राज्यों महाराष्ट्र (303 कि.मी.), उत्तरी कर्नाटक (480 कि.मी.) और शेष 1300 कि.मी. तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है।
- **सहायक नदियाँ:**
  - **दाईं ओर की सहायक नदियाँ:** घटप्रभा, मल्लप्रभा और तुंगभद्रा।
  - **बाईं ओर की सहायक नदियाँ: भीमा, मुसी** और मुन्नेरु।

//

- **जलविद्युत विकास:**
  - कृष्णा नदी बेसिन में प्रमुख जल विद्युत स्टेशन कोयना, तुंगभद्रा, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, अलमाटी, नारायणपुर और भद्रा हैं।
- **पौराणिक महत्त्व:**
  - कृष्णा **प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली एक विशालकाय नदी** है। इसे पुराणों में कृष्णवेना अथवा योगिनीतंत्र (एक तांत्रिक ग्रन्थ) में कृष्णवेणी के नाम से जाना जाता है।
  - इसे **जातकों और खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में कान्हापेन्ना** के नाम से भी जाना जाता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/krishna-water-dispute-1